**भारत सरकार**

**स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय**

**स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या - 922**

**28 जुलाई, 2015 को पूछे जाने वाले प्रश्‍न का उत्तर**

**खाद्य सुरक्षा मापदण्डों का उल्लंघन**

922. **श्री आनंद शर्मा:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पैक किए गए और खाने के लिए तैयार भोजन के मामले में विदेशी और भारतीय विनिर्माण कंपनियों द्वारा खाद्य सुरक्षा मापदंडों में उल्लंघन की घटनाएं बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो दायर किए गए मामलों की संख्या क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या भारत में विनिर्मित पैक किए गए खाद्य पदार्थों में वसा, नमक, चीनी और प्रिज़र्वेटिव के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक मापदण्ड, अंतर्राष्ट्रीय मापदण्डों के अनुरूप हैं; और

(घ) भारत में प्रमाणित जांच प्रयोगशालाओं की संख्या क्या है तथा पैक किए गए सभी खाद्य पदार्थों की जांच में कौन-कौन से चरण हैं?

**उत्तर**

**स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्री (श्री श्रीपाद यसो नाईक)**

(क) हालांकि पैक किए गए और खाने के लिए तैयार भोजन के लिए खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के संबंध में कोई आँकड़े अलग से केंद्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते है, फिर भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान क्रमशः 699949, 72200 और 60548 खाद्य नमूनों का विश्लेषण किया गया और इनमें से 10380 (14.8%), 13571 (18.8%) और 12077 (19.9%) नमूने मिलावटी / बिना ब्रांड के पाए गए थे।

(ख) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार प्रारंभिक मामले (आपराधिक/सिविल) की संख्या और दोषसिद्धि/जुर्मानों की संख्या निम्नलिखित हैः-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **वर्ष** | **प्रारंभ किए मामले (आपराधिक/सिविल) की संख्या** | **दोषसिद्धि / जुर्माने की राशि की संख्या** |
| 2012-13 | 5840 | 3175/रुपए 5,24,95,016 |
| 2013-14 | 913 | 2932/ रुपए 7,29,89,474 |
| 2014-15 | 1355 | 2682/ रुपए 10,64,03,414 |

(ग): केंद्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा अंतिम रूप दिए गए मानकों में अंतर्राष्ट्रीय/कोडेक्स मानकों और घरेलू कारकों सहित सभी संगत मुद्दों को शामिल किया गया है।

(घ) ऐसी प्रयोगशालाओं की संख्या निम्नलिखित हैः-

|  |  |
| --- | --- |
| (i) | रेफरल प्रयोगशालाएं - 12 |
| (ii) | राज्य/जन खाद्य प्रयोगशालाएं - 72 |
| (iii) | एनएबीएल प्रत्यायित निजी प्रयोगशालाएं - 82 |
| कुल - 166 | |

इन प्रयोगशालाओं के राज्यवार ब्यौरे **अनुलग्नक** में दिए गए हैं।

\*\*\*\*\*

**अनुलग्नक**

**खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की राज्य-वार सूची**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश** | **राज्य/सार्वजनिक खाद्य प्रयोगशालाओं की संख्या** | **रेफरल खाद्य प्रयोगशालाओं की संख्या \*** | **एफएसएसएआई द्वारा अधिसूचित एनएबीएल मान्यता प्राप्त निजी प्रयोगशालाओं की संख्या** |
| 1. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 1 | - | - |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 1 | 1 | - |
| 3. | असम | 1 | - | - |
| 4. | बिहार | 1 | - | - |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 1 | - | - |
| 6. | दमन और दीव | - | - | 1 |
| 7. | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | 1 | - | 1 1 |
| 8. | गोवा | 1 | - | - |
| 9. | गुजरात | 6 | 1 | 3 |
| 10. | हरियाणा | 2 | - | 8 |
| 1 1. | हिमाचल प्रदेश | 1 | - | - |
| 12. | जम्मू और कश्मीर | 2 | - | - |
| 13. | झारखंड | 1 | - | - |
| 14. | कर्नाटक | 4 | 2 | 7 |
| 15. | केरल | 3 | 1 | 5 |
| 16. | मध्य प्रदेश | 3 | - | 3 |
| 17. | महाराष्ट्र | 1 1 | 2 | 18 |
| 18. | मेघालय | 1 | - | - |
| 19. | नगालैंड | 1 | - | - |
| 20. | ओडिशा | 1 | - | - |
| 21. | पुडुचेरी | 1 | - | - |
| 22. | पंजाब | 3 | - | 2 |
| 23. | राजस्थान | 8 | - | 3 |
| 24. | तमिलनाडु | 7 | 1 | 7 |
| 25. | तेलंगाना | 1 | 1 | 5 |
| 26. | त्रिपुरा | 1 | - | - |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 3 | 2 | 3 |
| 28. | उत्तराखंड | - | - | 1 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 5 | 1 | 5 |
|  | **कुल** | **72** | **12** | **82** |

\* राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और स्थानीय निकायों और आयातित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूनों के विश्लेषण के प्रयोजन के लिए अपीलीय प्रयोगशालाओं के रूप में रेफरल खाद्य प्रयोगशालाएं कार्य करती हैं।